न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, बहरोड, जिला कोटपुतली–बहरोड (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	पूर्णिमा यादव (*R.J.S.*)
प्रकरण संख्या	:	23 / 47 / 2020 (सीआईएस नम्बर 48214 / 2020)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	122 / 20 पुलिस थाना मांढण जिला कोटपुतली–बहरोड

राजस्थान राज्य **बनाम** शीला देवी उर्फ सुशीला

भाग–प्रथम

A

परिवादी	हरफुल सिंह पुत्र बोदनराम उम्र 75 साल निवासी कांकर की ढाणी तन कांकर थाना मांढण जिला कोटपुतली–बहरोड़, राज. **(फौत 21.11.2025)**
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री शिम्भू दयाल शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	शीला देवी उर्फ सुशीला देवी पत्नी जयप्रकाश उम्र 42 साल निवासी कांकर की ढाणी तन कांकर थाना मांढण जिला कोटपूतली बहरोड, राज.
अधिवक्ता अभियुक्ता	श्री रामनिवास सामरिया

B

अपराध की दिनांक	11.02.2020, 02.07.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	24.07.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	24.07.2020
प्रसंज्ञान लिए जाने की दिनांक	16.09.2020
आरोप सारांश सुनाए जाने की दिनांक	01.04.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	22.09.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	10.07.2026
निर्णय दिनांक	10.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

C

क्र.स.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	दिए गए दंड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01.	शीला देवी उर्फ सुशीला	–	–	323, 341, 506, 504 भा.दं.सं	दोषमुक्त	-	-

भाग–द्वितीय

अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ– अभियोजन गवाहान–

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 01	डॉ. प्रतिभा यादव	चिकित्सक
पी.डब्ल्यू 02	जयप्रकाश	परिवादी का पुत्र
पी.डब्ल्यू 03	रामपत	परिवादी का भतीजा
पी.डब्ल्यू 04	सुबेसिंह	परिवादी का भतीजा
पी.डब्ल्यू 05	कौशल्या	परिवादी की पत्नी

ब– बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ– अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण

01.	प्रदर्श पी 01	चोट प्रतिवेदन जयप्रकाश
02.	प्रदर्श पी 02	चोट प्रतिवेदन हरफूल
03.	प्रदर्श पी 03	परिवाद
04.	प्रदर्श पी 04	नक्शा मौका
05.	प्रदर्श पी 05	बयान धारा 161 सीआरपीसी रामपत
06.	प्रदर्श पी 06	बयान धारा 161 सीआरपीसी सुबेसिंह
07.	प्रदर्श पी 07	बयान धारा 161 सीआरपीसी कौशल्या

ब– बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

–: निर्णय :– **दिनांक :– 10.07.2026**

1. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी हरफूलसिंह द्वारा एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी एव उसकी पत्नी कौशल्या तथा विकलांग पुत्र जयप्रकाश के अक्सर बीमार रहने, काम करने में असमर्थ रहने के कारण परिवादी की पुत्रवधु शीला देवी पत्नी जयप्रकाश, जो कि झगडालु महिला है, अपने पुत्र मोहित यादव एवं पुत्री कीर्ती यादव को अपने प्रभाव में लेकर अक्सर बीमार परिवादी व उसकी बीमार पत्नी कौशल्या तथा विकलांग पुत्र जयप्रकाश को हैरान परेशान एवं गाली गलौच करती रहती है तथा छोटी छोटी बातो पर नाराज होकर परिवादी, उसकी बीमार पत्नी व विकलाग पुत्र आदि सभी के साथ मारपीट करने लग जाती है। अभियुक्तगण के एकराय होकर परिवादी व उसकी पत्नी व पुत्र को हैरान परेशान एवं मारपीट करने से तंग आकर परिवादी द्वारा गांव एवं समाज के लोगों तथा रिश्तेदारों को इक्टठा कर अभियुक्तगण को समझाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन वे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे है। अभियुक्ता संख्या–1 ने परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी व विकलाग पुत्र का जीना हराम कर रखा है तथा परिवादी की गुजर बसर करने का एकमात्र सहारा कृषि भूमि जो परिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है पर भी जबरन कब्जा कर रखा है एवं

परिवादी को खेतों में ना तो घुसने देती है, ना ही फसल बोने देती है बल्कि समस्त फसल भी वह स्वयं ही अपने पास रखती है। परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी व विकलांग पुत्र के द्वारा अभियुक्तगण को समझाने का प्रयास करने पर मारपीट करने लग जाते है तथा आसपास के लोगों द्वारा छुडवाने आने पर उनके साथ भी गाली गलौच कर गारपीट करने तथा झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी देते है जिसके कारण परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी व विकलांग पुत्र को कोई छुडाने के लिये भी नहीं आता है। दिनांक 11–02–2020 को भी परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी व विकलांग पुत्र के साथ मारपीट की गई थी जिसकी रिपोर्ट भी परिवादी द्वारा पुलिस थाना माढ़ण पर दी लेकिन उस रिपोर्ट पर भी ना तो पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गई, ना ही परिवादी की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से अभियुक्तगण के हौसले बुलन्द हो गये है एवं अब उनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ गये है एवं आये दिन हैरान परेशान तथा गाली गलौच कर मारपीट करते रहते है। दिनांक 02–07–2020 को सांय करीब 7.00 बजे बिना किसी कारण अभियुक्तगण एकराय होकर हाथों में डण्डे आदि लेकर आये एवं परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी व विकलांग पुत्र के साथ गाली गलौच करना आरम्भ कर दिया जिसके बाबत समझाने का प्रयास करने पर परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी व विकलांग पुत्र के साथ मारपीट की एवं कहा कि तुम तीनों को जान से मारकर ही दम लेगें। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई लेकिन उसके बाद भी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे है कि जब भी मौका मिलेगा जान से मारेगें तथा धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की धमकी देते है। परिवादी को उसकी जमीन भी नहीं जौतने दे रही है जिससे परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी व विकलांग पुत्र के भूखे मरने की नौबत आ गई है। अंत में परिवादी का परिवाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर परिवाद पत्र को अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को वास्ते अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोग दर्ज करवाया जाकर अभियुक्ता को गिरफ्तार करवाया जावे एवं परिवादी व उसकी बीमार पत्नी कौशल्या, जयप्रकाश की जान माल की रक्षा करवाई जाकर अभियुक्ता को परिवादी के खेतों में फसल बोने एवं काटने से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

2. उपरोक्त इस्तगासा के आधार पर पुलिस थाना मांढण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2020 दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियुक्ता शीला देवी

उर्फ सुशीला के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 341, 504, 506 भा.द.सं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनना पाए जाने पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्ता को धारा 323, 341, 504, 506 भा.द.सं का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्ता ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान् एवं दस्तावेजात् तथा बचाव पक्ष की ओर से पेश गवाहान् एवं दस्तावेजात् उपरोक्त भाग में वर्णित है।

5. अभियुक्ता को धारा 313 द.प्र.सं के तहत परीक्षित किया तो साक्ष्य अभियोजन को गलत बताया एवं साक्ष्य सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं की तथा अतिरिक्त कथनों में कथन किया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्ता को आरोपित अपराध मे दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उचित दंड से दंडित करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अभियुक्ता ने कथन किया कि अभियोजन ने ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं जो अभियुक्ता पर आरोपित अपराध साबित करते हों तथा प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुये हैं। जिस कारण मुलजिमा के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। अतः आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. बहस के तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निर्णय किए जाने हेतु विचारणीय बिंदु यह हैं कि :—

(क) क्या आरोपित अभियुक्ता ने दिनांक 11.02.2020 को एवं दिनांक 02.07.2020 को समय शाम करीब 07:00 बजे या उसके लगभग मौजा ढाणी नई तोड़ ग्राम कांकर में परिवादी जो कैंसर पीड़ित 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है, की पुत्रवधू एवं मजरूब जयप्रकाश जो विकलांग है, की पत्नी होते हुये उनको स्वेच्छया उस दिशा में जाने से निवारित किया जिसमें उन्हें जाने का अधिकार था उनके साथ कुंद हथियार से स्वेच्छया मारपीट की गयी, जिससे परिवादी एवं मजरूब के शरीर पर साधारण उपहतियां कारित की तथा उनके शरीर, संपत्ति एवं ख्याति को क्षति कारित करने की धमकी देकर कि

परिवादी के वृद्धावस्था एवं मजरूब जयप्रकाश की विकलांगता का फायदा उठाकर उन्हें खेतों में घुसने नहीं देकर तथा फसल अपने पास रखकर, खाना देना बंद कर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा उपरोक्त कृत्य से उनको साशय अपमानित किया जिससे यह संभव था कि परिवादी एवं मजरूब प्रकोपित हो तथा लोग शांति या कोई अन्य अपराध कारित हो?

(ख) यदि हां, तो क्या दण्ड दिया जावें?

8. उक्त विचारणीय बिंदु को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 05 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया हैं।

9. प्रकरण में चिकित्सकीय गवाह पी.ड. 01 डॉ. प्रतिभा यादव है, जिसने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.07.2020 को वह सीएचसी मांढण पर एमओ के पद पर तैनात थी। उस रोज थाना एसएचओ पीएम मांढण के प्रतिवेदन पर मजरूब जयप्रकाश पुत्र हरफूल निवासी कांकर की ढाणी के शरीर पर आई चोटों को मुआयना किया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1 उसकी कलमी है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मजरूब हरफुल पुत्र बादेनराम निवासी कांकर की ढाणी की चोटों का मुआयना किया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.2 उसकी कलमी है जिस पर उसके हस्ताक्षर व मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित है।

10. प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.1 व पी.2 में अंकित चोटें कठोर धरातल पर गिरने–पड़ने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड. 02 जयप्रकाश परीक्षित हुआ है, जो कि प्रकरण का मजरूब है, जिसने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसकी पत्नी सुशीला, उसकी मां और उसके पिता के साथ झगड़ा करती थी। दिनांक 02.07.2020 को सुशीला उर्फ शीला ने उसके पिता हरफूल व उसके साथ दिन में लात घूसों से मारपीट की और गाली गलोच की। घर पर भी मारपीट की थी। दिनांक 26.07.20 को घर के चौक में उसके पिताजी हरफूल और उसके साथ सुशीला और शीला ने लात घूसों से मारपीट की, गाली गलोच की। जान से मारने की धमकी दी। रामपथ सूबेसिंह ने बीच–बचाह करवाया। उसकी पीठ में और

शरीर पर जगह जगह चोटें आई थी। उसके पिता के भी मामूली चोटें आई थी। उसके पिता ने अदालत में मुकदमा किया। उसके पिता की मृत्यू हो चुकी है। पुलिस ने मौका कार्यवाही भी की थी। पहले पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की थी। परिवाद प्रदर्श पी–3, नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 पर ए से बी उसके पिता हरफूल सिंह के हस्ताक्षर हैं जो वह पहचानता है। उसके चोटों का मेडिकल हुआ था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–4, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने इस मुकदमें में सुशीला से राजीनामा कर लिया है और उसकी पत्नी सुशीला उसके साथ ही रहती है। उसके पिता ने भी सुशीला से राजीनामा कर लिया था और उनके साथ ही रहते थे। गवाह ने स्वीकारा है कि वे इस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं चाहते।

13. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड. 03 रामपत परीक्षित हुआ है, जो पक्षद्रोही हुआ है, जिसने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि हरफूल उसके परिवार में चाचा लगता था जो फौत हो चुका है। हरफूल और उसके लड़के जयप्रकाश के साथ कोई झगड़ा मारपीट की उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस गांव में मौका देखने आयी थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

14. अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इंकार किया है कि उसने हरफूल और जयप्रकाश का बीच–बचाव करवाया हो। गवाह ने स्वीकारा है कि हरफूल, जयप्रकाश कास सुशीला उर्फ शीला से विवाद चल रहा था। गवाह ने इंकार किया है कि सुशीला आये दिन जयप्रकाश वगे0 से गाली–गलौच करती हो। गवाह ने स्वीकारा है कि जयप्रकाश और शीला उर्फ सुशीला का राजीनामा हो गया है।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड. 04 सुबेंसिह परीक्षित हुआ है, जो पक्षद्रोही हुआ है, जिसने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि हरफूल और उसके लड़के जयप्रकाश के साथ कोई झगड़ा मारपीट की उसे कोई जानकारी नहीं है।

16. अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इंकार किया है कि उसने हरफूल और जयप्रकाश का बीच–बचाव करवाया हो। गवाह ने स्वीकारा है

कि हरफूल, जयप्रकाश का सुशीला उर्फ शीला का आपस में विवद चल रहा था। गवाह ने इंकार किया है कि सुशीला आये दिन जयप्रकाश वगै0 से गाली–गलौच करती हो। गवाह ने यह भी स्वीकारा है कि जयप्रकाश और शीला उर्फ सुशीला का राजीनामा हो गया है।

17. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड. 05 कौशल्या परीक्षित हुई है, जो पक्षद्रोही हुई है, जिसने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि करीब 5 साल पहले उसकी पुत्रवधू सुशीला उर्फ शीला ने उसके पति हरफुल और लड़के जयप्रकाश के साथ गाली–गलौच की थी। उस वक्त वह घर से बाहर गई हुई थी। करीब इस घटना के 20 दिन बाद उनके घर में उसकी पुत्रवधू ने उसके लड़के के साथ गाली–गलौच की थी। वह भी घर के कमरे में सुन रही थी। बाहर नहीं आ पाई।

18. अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसके पति और लड़के के साथ शीला ने गाली–गलौच की थी मारपीट नहीं की थी। गवाह ने इंकार किया है कि उसने मारपीट देखी हो। वह बीमार रहती है, कमरे के बाहर नहीं निकलती है। उसने तो शोर ही सुना था। उसके पति व लड़के चोट कैसे आई उसे जानकारी नहीं है। गवाह ने स्वीकारा है कि उसने व उसके लड़के ने शीला से राजीनामा कर लिया है और उनके साथ रहती है।

19. उक्त विचारणीय बिंदु एवं परिवाद प्रदर्श पी.3 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो यह प्रकट होता है कि परिवादी हरफूल सिंह के फौत हो जाने से गवाह की तलबी बंद की गयी तथा बयान लेखबद्ध नहीं किये जा सके। परिवादी के पुत्र एवं मजरूब जयप्रकाश को न्यायालय में बतौर पी. ड.2 परीक्षित करवाया गया जिसने दिनांक 02.07.2020 एवं 26.07.2020 की घटना बतलाते हुये उसके व उसके पिता हरफूल के साथ लात–घुस्सों से मारपीट करने के एवं गाली–गलौच करने के कथन किये है। बीच–बचाव कर्ता के नाम गवाह ने रामपत व सुबेसिंह बतलाया है। उक्त गवाह ने परिवाद प्रदर्श पी.3, नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 एवं स्वयं की चोटों का मेडिकल प्रदर्श पी.1 प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने अभियुक्ता शीला के साथ राजीनामा हो जाने तथा अभियुक्ता उसकी पत्नी होकर उसके साथ रह रही होने का कथन किया है। इसी क्रम में घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.ड.3 व पी.ड.4 क्रमशः रामपत व सुबेसिंह

ने घटना की जानकारी से ही इंकार किया है। उक्त दोनों गवाहान को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण करने पर ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे परिवाद प्रदर्श पी.3 की ताईद हो। इसी क्रम में परिवादी की पत्नी कौशल्या को न्यायालय में बतौर पी.ड.5 परीक्षित करवाया गया जिसने उसकी पुत्रवधू सुशीला उर्फ शीला अर्थात अभियुक्ता द्वारा उसके पति एवं लड़के साथ गाली–गलौच करने बाबत् कथन किये है। उक्त गवाह को भी न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण करने पर गवाह ने केवल गाली–गलौच करने तथा कोई मारपीट नहीं करने बाबत् कथन किया है। यह भी कथन किया है कि उसके पति व लड़के के चोट कैसे आई उसे जानकारी नहीं है तथा उनका आपस में राजीनामा हो गया है। सभी महत्वपूर्ण गवाहान ने एक स्वर में पक्षकारान का राजीनामा हो जाने का कथन किया है तथा अभियुक्ता, परिवादी एवं मजरूब जयप्रकाश की पुत्रवधू/पत्नी होने का तथ्य स्वीकृत है। प्रकरण के विशेषज्ञ साक्षी डॉ. प्रतिभा यादव पी.ड.1 ने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1 व पी.2 की ताईद करते हुये मजरूबान के सामान्य प्रकृति की चोट एवं कुंद हथियार से आने का कथन किया है। उपरोक्त समस्त गवाहान के बयानों के दृष्टिगत यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि परिवादी का पुत्र जयप्रकाश जो प्रकरण का मजरूब भी है ने घटना के एवं परिवादी प्रदर्श पी.3 के सुसंगत तथ्यों की ताईद की है, परंतु उक्त गवाह के बयानों की संपुष्टि नामजद गवाहान ने भी नहीं की है अपितु अन्य तीनों महत्वपूर्ण गवाहान जिसमें से पी.ड.5 मजरूब की माता है ने भी लेशमात्र भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, तीनो पक्षद्रोही करार दिये गये है। ऐसे में परस्पर संपुष्टिकारक कथन के अभाव में अभियोजन उपरोक्त वर्णित विचारणीय बिंदु के तथ्य अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 323, 341, 504, 506 भा.दं.सं. का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्ता शीला देवी उर्फ सुशीला देवी को धारा 323, 341, 504, 506 भा.द.सं के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

–:आदेश:–

20. परिणामतः **शीला देवी उर्फ सुशीला पत्नी जयप्रकाश उम्र 42 साल निवासी कांकर की ढाणी तन कांकर थाना मांढण जिला कोटपुतली–बहरोड़, राज.** को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504, 506 भा.द.सं के आरोप से संदेह का लाभ देकर

दोषमुक्त घोषित किया जाता है। शीला देवी उर्फ सुशीला के न्यायालय में हाजरी बाबत पूर्व पेशशुदा जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21. शीला देवी उर्फ सुशीला को धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया सं के तहत निर्णय की दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में **दस हजार रूपए** की राशि की जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का मुचलका पेश करने के आदेश दिए जाते हैं।

(पूर्णिमा यादव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सं.01 बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड

22. यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(पूर्णिमा यादव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सं.01 बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड